5 रु. भारत पाँच रुपये INDIA FIVE RUPEES Rs.5

समक्षः न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर जिला–ग्वालियर
संभाग ग्वालियर (म०प्र०)

रा०आ०क्र० अपील /3907/I-15 प्रस्तुत दिनांक

बालकृष्ण त्रिपाठी आत्मज खुर्शीराम तिपाठी उम्र लगभग 60 वर्ष
जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम पिपरिया कलां थाना व तहसील,
केवलारी जिला–सिवनी (म0प्र0)

-------------------------------अपीलार्थी

–: विरूद्ध :–

मध्यप्रदेश शासन

द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०संहिता।

विद्यवान प्राधिकारी श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महोदय तहसील केवलारी, जिला–सिवनी द्वारा अपने राजस्व अपील कमांक 29/अ–68/13–14 ग्राम पिपरिया कलां प0ह0नं0 3/6 रा0नि0मं0 पलारी तहसील केवलारी पक्षकार बालकृष्ण त्रिपाठी आवेदक/अपीलार्थी विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन अनावेदक/उत्तरवादी में विधि विरूद्ध अलौच्य आदेश दिनांक 03/09/2015 को पारित किये जाने से दुखित होकर उक्त अपील निम्न आधारो के अतिरिक्त आधारों पर प्रस्तुत हैं।

प्रकरण के तथ्य

आवेदक/अपीलार्थी का प्रकरण संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

आवेदक/अपीलार्थी ने श्रीमान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय की अपील प्रस्तुत कि आवेदक/अपीलार्थी ग्राम पिपरिया कलां पटवारी हल्का नबंर 03 रा0नि0मं0 पलारी का मूल निवासी हैं तथा ग्राम पिपरिया कलां में उक्त विवादित भूमि स्थित हैं जो कि आवेदक/अपीलार्थी को शासन द्वारा पट्टे पर दी गई थी जिसें श्रीमान आर0पी0तिवारी नायब तहसीलदार महोदय द्वारा अपने राजस्व प्रकरण कमांक 135/अ–19/1980–81 में आवेदक/अपीलार्थी को दिया गया था जिसका पुराना खसरा नबंर 151/3 रकबा 0.010 हें0 हैं उक्त पट्टा प्राप्त होने के पश्चात आवेदक/अपीलार्थी ने उसकी फोटो कापी अपने हल्का पटवारी को दे दी थी तथा उसको यह भाष रहा की उसका नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हो गया हैं, क्योंकि उक्त पट्टा आवेदक/अपीलार्थी को शासन द्वारा प्राप्त हुआ है किन्तु जब श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय वृत्त पलारी तहसील केवलारी द्वारा अतिकमण हटायें जाने का अतिक्रमण प्रकरण कमांक 11/अ–68/का नोटिस प्राप्त हुआ तब उक्त अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण में उपस्थित होकर श्रीमान अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार को यह अवगत कराया की उक्त प्रकरण में जबाब देने हेतु दस्तावेज प्रदाय किये जायें किन्तु दस्तावेज प्रदाय न करने की दशा में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जबरन जबाब देने हेतु मजबूर करने की दशा में आवेदक/अपीलार्थी उक्त शासन द्वारा प्राप्त पट्टे की प्रति तथा उक्त

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - अपील-3907-एक/15 **जिला** - सिवनी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15/02/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के अंतिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.04.2019 को आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के समक्ष उपस्थित हों। **(सदस्य)** <u>आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर</u>	